5112.

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II - SECTION 3 - SUB-SECTION (ii)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 28th February, 1983.

S.O. 151(E).- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 1983.

   (2) They shall come into force on the 2nd day of April, 1983.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Part I of Appendix I, in the "Table of rates at which depreciation is admissible";-

   (1) under the heading "I Buildings-",

   (i) for items 1, 2 and 3 and the entries relating thereto in columns 1, 2 and 3, the following items and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3
"1. General rate	5	"Buildings" include roads, bridges, culverts, wells and tube-wells.
2. Special rate in respect of factory buildings (excluding offices, godowns, officers' and employees' quarters, roads,		

bridges, culverts, wells and tube-wells) 10";

(ii) items 4 and 5 shall be renumbered as items 3 and 4 respectively;

(iii) in item 4 as so renumbered, in sub-items (a) and (b), in the entries under column 2, for the figures and word "1, 2, 3 or 4", the figures and word "1, 2, or 3", shall be substituted;

(2) under the heading "III MACHINERY AND PLANT (not being a ship)—",—

(i) in item (i), in column 2, for the figures "10", the figures "15" shall be substituted;

(ii) in item (ii),—

(A) Group A and group B [and the entries relating thereto in columns 1 and 2] shall be omitted;

(B) in group D, sub-item (10C) and the entries relating thereto in column 1 shall be omitted;

(C) in group F, after sub-item (2), the following sub-item shall be inserted in column 1, namely:—

"(2A) Energy saving devices, being—

(a) Specialised boilers and furnaces

(i) Ingnifluid/fluidized bed boiler

(ii) Flameless furnaces

(iii) Fluidized bed type heat treatment furnace

(iv) High efficiency boilers (thermal efficiency higher than 75 per cent. in case of coal fired and 80 per cent. in case of oil/gas fired boilers)

(b) Instrumentation and monitoring system for monitoring energy flows:

(i) Automatic electrical load monitoring system

(ii) Digital heat loss meters

(iii) Micro-processor-based control systems

(c) Waste heat recovery equipments and co-generation systems:

(i) Economisers and feed water heaters

(ii) Recuperators and air pre-heaters

(iii) Backpressure turbines for co-generation

(iv) Heat pumps

(v) Vapour absorpiton refrigeration system

(vi) Organic rankine cycle power system

(vii) Low inlet pressure small steam turbines

(d) Power factor correcting devices:

Shunt capacitors and synchronous condenser systems";

(iii) in item (iv),-

(A) in the paragraph occuring after the illustration, for the figures and words "10 per cent.", the figures and words "15 per cent." shall be substituted;

(B) for the items of machinery and plant at (1) to (10) and the entries relating theret in column 1, the following items and

entries shall be substituted, namely:-

"(1) Accounting machines

(2) Airconditioning machinery including room airconditioners

(3) Building contractors' machinery

(4) Calculating machines

(5) Electrical Machinery - switchgear and instruments, transformers and other stationary plant and wiring and fittings of electric light and fan installations

(6) Hydraulic works, pipelines and sluices

(7) Locomotives, rolling stocks, tramways and railways used by concerns, excluding railway concerns

(8) Mineral oil concerns in field operations:-

(a) Boilers

(b) Prime movers

(c) Process plant

(d) Storage tanks (above ground)

(e) Pipelines (above ground)

(f) Jetties and dry docks

(9) Mineral oil concerns - field operations(distribution) - kerbside pumps, including underground tanks and fittings

(10) Mineral oil concerns - refineries:-

(a) Boilers

(b) Prime movers

(c) Process plant

(11) Mines and quarries:-

(a) Surface and underground machinery (other than electrical machinery and portable underground machinery

(b) Head-gears

(c) Rails

(d) Boilers

(e) Shafts and inclines

(f) Tramways on the surface

(12) Neo-post Franking machines

(13) Office machinery

(14) Overhead cables and wires

(15) Railway sidings

(16) Refrigeration plant containers etc. (other than racks)

(17) Ropeway structures:-

(a) Trestle and station steel work

(b) Driving and tension gearing

(18) Salt works - Reservoirs, condensers, salt pans, delivery channels and piears if constructed of masonry, concrete, cement, asphalt or similar materials; barges and floating plant; piears, quays and jetties; and pipelines for conveying brine if constructed of masonry, concrete, cement, asphalt or similar materials

(19) Surgical instruments

(20) Tramways electric and tramways run by internal combustion engines - permanent way; cars - car, trucks, car bodies, electrical equipment and motors; tram cars including engines and gears

(21) Typewriters

(22) Weighing machines

(23) Wireless apparatus and gear, wireless appliances and accessories".

[No. 5112 / F.No. 48/TB/83-TPL]

V.D. [illegible]

SECRETARY

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

5112

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 - खंड 3 - उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मन्त्रालय
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1983

अधिसूचना

आयकर

का0नि0 151(अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 ("1961 का 43") की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चौथा संशोधन) नियम 1983 है।

   (ii) ये 2 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 1, भाग 1 में "अवक्षयण के लिए अनुज्ञेय दरों की सारणी" में, -

   (1) "1. भवन" शीर्षक के नीचे, -

   (i) मद 1, 2 और 3 तथा स्तंभ 1, 2 और 3 में उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
1- साधारण दर	5	"भवन" के अन्तर्गत सड़कें, पुल, पुलियां, कुएं और नलकूप हैं।"
2- कारखाना भवनों के संबंध में (कार्यालयों, गोदामों, अधिकारियों और कर्मचारियों के क्वार्टरों, सड़कों, पुल, पुलियों, कुओं और नलकूपों को छोड़कर) विशेष दर।		

(ii) मद 4 और 5 को क्रमशः मद 3 और 4" के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित मद 4 में, उप-मद (क) और (ख) में, स्तम्भ 2 के नीचे की प्रविष्टियों में " 1, 2, 3 अथवा 4" अंकों और शब्द के स्थान पर " 1, 2, अथवा 3" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(2) " III मशीनरी और संयंत्र (जो पोत नहीं है)", शीर्षक के नीचे, -

(i) मद (i) में, स्तम्भ 2 में, " 10" अंक के स्थान पर " 15" अंक रखा जाएगा ;

(ii) मद (ii) में -

(क) स्तम्भ 1 और 2 में, समूह क और समूह ख और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) स्तंभ 1 में, समूह घ में, उपमद (10ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायगा),

(ग) स्तंभ 1 में समूह 'च' में, उप-मद (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

"(2क) उर्जा बचत युक्तियां, जो निम्नलिखित हैं,

(क) विशिष्ट बायलर और भट्टियां -

(i) इंजनी तरल (इंजनीफ्लुइड) तरसन संस्तर बायलर,

(ii) बिना ज्वाला की भट्टी,

(iii) तरलज संस्तर प्रकार की ऊष्मा उपचार भट्टी,

(iv) उच्च क्षमता वाले बायलर (उष्मीय क्षमता कोयला जलाने वाले बायलरों की दशा में, 75 प्रतिशत से उच्चतर और तेल/गैस जलाने वाले बायलरों की दशा में 80 प्रतिशत) ,

(ख) ऊर्जा बहाव का मानीटरन करने के लिए यंत्रीकरण और मानीटरन पद्धति :

(i) स्वचालित वैद्युत भार मानीटरन पद्धति ।

(ii) अंकीय ऊष्मा हानि मीटर ।

(iii) सूक्ष्म प्रसंसाधित्र पर आधारित नियंत्रण पद्धति ।

(ग) अपशिष्ट ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के उपस्कर और सह-उत्पादन पद्धति :

(i) मित उपयोजित्र और भरण जल तापक ।

(ii) पुनर्योजित्र और वायु पूर्वतापक ।

(iii) सह-उत्पादक के लिए पश्चदाब टरबाइन ।

(iv) ऊष्मा पंप ।

(v) वाष्प अवशोषण प्रशीतन पद्धति ।

(vi) कार्बनिक रेन्किन चक्र पद्धति ।

(vii) अल्प अन्तर्गत दाब लघु वाष्प का टर्बाइन ।

(घ) शक्ति गुणांक संशोधन युक्तियां :

"शंट संधारित्र और तुल्यकालिक प्रवर्तित्र पद्धति"

(iii) मद (iv) में, -

(अ) दृष्टांत के पश्चात् वाले पैरा में "10 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर "15 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) (1) से (10) तक की मशीनरी और संयंत्र सम्बन्धी मदों और खंड । में उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(1) परिकलन पत्र ।

(2) वातानुकूलन मशीनरी जिसके अन्तर्गत कक्ष वातानुकूलक है ।

(3) भवन ठेकेदार की मशीनरी ।

(4) संगणक मशीन ।

(5) वैद्युत मशीनरी - स्विच गियर और उपकरण, ट्रांसफार्मर और अन्य निश्चल संयंत्र तथा विद्युत प्रकार की वायरिंग और फिटिंग और यंत्रों का प्रतिष्ठापन ।

(6) द्रव चालित संकर्म, पाइप लाइनें और स्लूइसें ।

(7) लोकोमोटिव, रा स्टाक ट्राम व और रेल, जो रेल समुत्थानों से अपवर्जित करके अन्य समुत्थानों द्वारा प्रयुक्त होती है ।

(8) खनिज तेल समुत्थान फील्ड संक्रियाएं ।

(क) बायलर

(ख) कुल गति उत्पादक

(ग) प्रक्रिया संयंत्र

(घ) भण्डारकरण टैंकियां (भूमि के ऊपर)

(ङ) पाइप लाइनें (भूमि के ऊपर)

(च) वैद्युत और सूखी भू गोलियां

(9) खनिज तेल समुत्थान-फील्ड संक्रियाएं (वितरण) सड़क के किनारे के कक्ष, जिनके अन्तर्गत भूमि के नीचे की टैंकियां और फिटिंग भी हैं।

(10) खनिज तेल समुत्थान परिष्करण शाखाएं ।

(क) बायलर

(ख) कुल गति उत्पादक

(ग) प्रक्रिया संयंत्र

(11) खान और खदान ।

(क) भू तल और भूमि के नीचे के मशीनरी (वैद्युत मशीनरी) और भूमि के नीचे की सुवाह्य मशीनरी को छोड़ कर ।

(ख) हेड गियर

(ग) रेलें

(घ) बायलर

(ङ) कुण्डे और कलतियाँ

(च) भूतल पर ट्राम्बे

(12) नियोपेंट शेकन मशीनें

(13) कार्यालय मशीनरी

(14) शिरोपरि केबलें और तारें

(15) रेल साइडिंग

(16) प्रशीतन संयंत्र, आधान आदि (रेकों से भिन्न)

(17) रज्जु मार्ग निर्मितियाँ :-

(क) टिकटिकी और स्टेशन स्थापत संकर्म

(ख) चालक और तनाव लगाने वाले गियर

(18) लवण संकर्म - जलाशय, संघनित्र, लवण बेटन, परिवाय जल सारणियाँ और पियर्स, आदि यदि गारा, कंक्रीट सीमेंट, एस्फाल्ट या समरूप पदार्थों से सन्निर्मित हों, पंपसार और जल संयंत्र, पीकें, स्लेज और मेड़ियाँ, तथा लवण जल का प्रवहण करने के लिए पाइप लाइनें आदि यदि गारा कंक्रीट, सीमेंट, एस्फाल्ट या समरूप पदार्थों से बनी हों ।

(19) शल्य उपकरण ।

(20) विद्युत ट्राम्बे और अन्तर्दहन इंजनों से चलने वाली ट्राम्बे-स्थायी मार्ग, कारें - कार, ट्रके, कारों के ढांचे, विद्युत उपस्कर और मोटरें, ट्राम कारें, जिनके अन्तर्गत इंजन और गियर हैं;-

(21) टाइपराइटर

(22) तुलन - मशीनें

(23) बेतार उपस्कर और गियर, बेतार साधित्र और उपसाधन ।" ।

(सं0 5112/फा0सं0 48बी.बी./83-टी.पी.एल.

(बी0डी0 वाकरकर)
सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड